



1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ पंचायत समिति भुसावर में सहायक अभियंता 30,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए गोविन्द प्रसाद, सहायक अभियंता, पंचायत समिति भुसावर, जिला भरतपुर को परिवारी से 30,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी भरतपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवारी संवेदक एवं सहपरिवारी की माप पुस्तिका तथा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर करने की एवज में गोविन्द प्रसाद, सहायक अभियंता, पंचायत समिति भुसावर, जिला भरतपुर द्वारा 30,000/- रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर ए.सी.बी. रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी गोविन्द प्रसाद, सहायक अभियंता को परिवारी से 30,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवार आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण